न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

...पत्र संख्या–15/2024
...पत्र प्रविष्टि दिनांक–22.03.2024
...र्णय दिनांक–08.08.2024

...नोहरी सैनी पुत्री कजोड धर्मपत्नि चिरंजीलाल सैनी जाति माली निवासी ग्राम इस्लामपुरा तह0 पीपलू ...ला टोंक हाल निवासी अनवरपुरा खेडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीया

बनाम

...सीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं की भूमि आराजी ख0न0 .../3 रकबा 0.4046 हैक्ट., ख0न0 238/4 रकबा 0.7461 हैक्ट., ख0न0 239/3 रकबा 1.6186 हैक्ट., ख0न0 .../4 रकबा 0.1138 हैक्ट., ख0न0 371/239 रकबा 1.2645 हैक्ट., ख0न0 373/239 रकबा 0.1012 हैक्ट. ... किता 06 कुल रकबा 4.2488 हैक्ट. वाके ग्राम इस्लामपुरा, पटवार हल्का गहलोद तह0 पीपलू जिला टोंक में ...त है। जिसमें प्रार्थिया का 1/30 हिस्सा है। जिसकी प्रार्थिया सह खातेदार कास्तकार है। प्रार्थिया के नाम जब ... भूमि नाम लगी तो प्रार्थिया का नाम मनोहरी सैनी दर्ज करवाया गया था। लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा ...थिया का नाम मन्दोरी पुत्री कजोड दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थिया का सही नाम मनोहरी सैनी पुत्री ...जोड है तथा उसके सम्पूर्ण आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजो में उसका नाम मनोहरी सैनी पुत्र कजोड दर्ज है। ... प्रार्थिया का नाम मन्दोरी पुत्री कजोड की जगह पर मनोहरी पुत्री कजोड दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं ...यसंगत है। प्रार्थिया का सही नाम मनोहरी सैनी पुत्री कजोड है। जबकि प्रार्थिया को गांव में मनोहरी सैनी पुत्री ...जोड के नाम से ही जानते है। ग्राम इस्लामपुरा की जमाबंदी में मन्दोरी पुत्री कजोड के नाम की कोई महिला ... है। उक्त त्रुटी एक लिपिकीय संहवनीय त्रुटी है। जिसको दुरूस्त किया जाकर उक्त आराजीयात के राजस्व ...र्ड में प्रार्थिया का नाम मन्दोरी पुत्री कजोड के स्थान पर मनोहरी सैनी पुत्री कजोड दर्ज किया जाना ...वश्यक एवं न्यायसंगत है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम इस्लामपुरा की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072–75 वर्ष 2020 से स्थायी खाता संख्या 24 में मन्दोरी पुत्री कजोड हि. 1/30 जाति माली सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम इस्लामपुरा में गड्डूली पत्नि कजोड फोत होने से नामान्तकरण संख्या 295 दिनांक 13.06.2016 से ओमप्रकाश, राजू, दिनेश पि0 कजोड, मन्दोरी, लाली पुत्रियां कजोड हि. बराबर के नामान्तकरण दर्ज हुआ था। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड व बैक पासबुक में मनोहरी दर्ज है। प्रार्थिया का वास्तविक नाम मनोहरी पुत्री कजोड ही है। मन्दोरी पुत्री कजोड के बजाय मनोहरी पुत्री कजोड शुद्ध किया जाना उचित है।

अधिवक्ता प्रार्थिया ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया की भूमि आराजी ख0न0 .../3 रकबा 0.4046 हैक्ट., ख0न0 238/4 रकबा 0.7461 हैक्ट., ख0न0 239/3 रकबा 1.6186 हैक्ट., ख0न0 .../4 रकबा 0.1138 हैक्ट., ख0न0 371/239 रकबा 1.2645 हैक्ट., ख0न0 373/239 रकबा 0.1012 हैक्ट. ... किता 06 कुल रकबा 4.2488 हैक्ट. वाके ग्राम इस्लामपुरा, पटवार हल्का गहलोद तह0 पीपलू जिला टोंक में ... है। जिसमें प्रार्थिया का 1/30 हिस्सा है। जिसकी प्रार्थिया सह खातेदार काश्तकार है। प्रार्थिया के नाम जब ... भूमि नाम लगी तो प्रार्थिया का नाम मनोहरी सैनी दर्ज करवाया गया था। लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा प्रार्थिया का नाम मन्दोरी पुत्री कजोड दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थिया का सही नाम मनोहरी सैनी पुत्री कजोड है तथा उसके सम्पूर्ण आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजो में उसका नाम मनोहरी सैनी पुत्र कजोड दर्ज है। प्रार्थिया का नाम मन्दोरी पुत्री कजोड की जगह पर मनोहरी पुत्री कजोड दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थिया का सही नाम मनोहरी सैनी पुत्री कजोड है। जबकि प्रार्थिया को गांव में मनोहरी सैनी पुत्री कजोड के नाम से ही जानते है। ग्राम इस्लामपुरा की जमाबंदी में मन्दोरी पुत्री कजोड के नाम की कोई महिला नहीं है। उक्त त्रुटी एक लिपिकीय संहवनीय त्रुटी है। जिसको दुरूस्त किया जाकर उक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया का नाम मन्दोरी पुत्री कजोड के स्थान पर मनोहरी सैनी पुत्री कजोड किया जावे।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की ग्राम इस्लामपुरा की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072–75 वर्ष 2020 से स्थायी खाता संख्या 24 में मन्दोरी पुत्री कजोड हि. 1/30 जाति माली सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम इस्लामपुरा में गड्डूली पत्नि कजोड फोत होने से नामान्तकरण संख्या 295 दिनांक 13.06.2016 से ओमप्रकाश, राजू, दिनेश पि0 कजोड, मन्दोरी, लाली पुत्रियां कजोड हि. बराबर के नामान्तकरण दर्ज हुआ था। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड व बैक पासबुक में मनोहरी दर्ज है। प्रार्थिया का वास्तविक नाम मनोहरी पुत्री कजोड ही है। मन्दोरी पुत्री कजोड के बजाय मनोहरी पुत्री कजोड शुद्ध किया जाना उचित है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

कार्यालय ग्राम पंचायत गहलोद के प्रमाण पत्र दिनांक 21.05.2024 अनुसार मनोहरी पुत्री कजोड व ...री पुत्री कजोड ग्राम इस्लामपुरा निवासी है। ग्रामवासियो एवं मेरी जानकारी के अनुसार मनोहरी पुत्री कजोड ...न्दोरी पुत्री कजोड दोनो एक ही व्यक्ति है, जो पूर्णतया सत्य एवं सही है।

हमने पत्रावली व प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार राशन ...र्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम, राजस्थान के तहत् जारी जॉब कार्ड, एच.डी.एफ.सी. ... द्वारा जारी पासबुक, सरपंच ग्राम पंचायत गहलोद द्वारा जारी प्रमाण पत्र साक्ष्य शपथ पत्र सह खातेदार लाली ... कजोड जाति माली निवासी ग्राम इस्लामपुरा तह0 पीपलू, राजू पुत्र कजोड जाति माली निवासी ग्राम ...लामपुरा तह0 पीपलू व तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन ...या गया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट हैं की प्रार्थीया का शुद्ध मनोहरी पुत्री कजोड है, जबकि भूमि आराजी ...न0 238/3, 238/4, 239/3, 240/4, 371/239, 373/239 कुल किता 06 कुल रकबा 4.2488 हैक्ट. वाके ... इस्लामपुरा, पटवार हल्का गहलोद के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम **मन्दोरी पुत्री कजोड"** दर्ज रिकॉर्ड ...जो त्रुटीपूर्ण है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण नाम **मन्दोरी पुत्री कजोड"** ...स्थान पर **मनोहरी सैनी पुत्री कजोड"** दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक ...8.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर ...कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(कपिल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)